

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक 8/3/19

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 1893/ श्री रजनीश लाल (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 1893/ श्री राकेश कुमार (बि0प्र0से0), निदेशक, डी0आर0डी0ए0, सहरसा को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(शैलेन्द्र नाथ)

सरकार के उप सचिव


परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ई0-मेल

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 1893

पटना दिनांक- 8/3/19

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/ जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा/मोटरयान निरीक्षक, सहरसा/मधेपुरा/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सहरसा/मधेपुरा/श्री रजनीश लाल, (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल/श्री राकेश कुमार (बि0प्र0से0), निदेशक, डी0आर0डी0ए0, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव